

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय न्यायपालिका
सिविल अपील आवेदन संख्या.5393 ऑफ 2010

मेसर्स गोदरेज सारा ली लिमि.

अपीलकर्ता(गण)

बनाम

आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण और अन्य

प्रतिवादी(गण)

निर्णय

DIPANKAR DATTA, J.

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में पारित 12 अक्टूबर, 2009 के एक आदेश को चुनौती देती है (इसके बाद 'उच्च न्यायालय', संक्षेप में) जिसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल रिट याचिका संख्या.9191 ऑफ 2009 को खारिज कर दिया गया था और इसे हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (इसके बाद 'वैट अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 33 के तहत अपील के उपचार के लिए खारिज कर दिया गया था।

2. इस अपील पर निर्णय के लिए दो सवाल सामने आते हैं। पहला, क्या उच्च न्यायालय को वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत अपीलकर्ता को अपील के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर हस्तक्षेप को अस्वीकार करने में उचित ठहराया गया था, जिसे उसने आगे नहीं बढ़ाया था। यदि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होता है, तो हमें यह निर्णय लेने

की आवश्यकता होगी कि उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए रिट याचिका भेजी जाए या उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेशों की शुद्धता या अन्यथा की जांच की जाए।

3. इस अपील में चुनौती के तहत आदेश के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने वैट अधिनियम की धारा 34 द्वारा प्रदत्त स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए उप आबकारी और कराधान आयुक्त (एसटी)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र (इसके बाद 'पुनरीक्षण प्राधिकरण', संक्षेप में) के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था, और अंतिम आदेश पारित किया था यह पाते हुए कि आकलन वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए दो मूल्यांकन आदेश, दोनों दिनांक 28 फरवरी, 2007 को ईटीओ-सह-निर्धारण प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र (इसके बाद 'निर्धारण प्राधिकरण', संक्षेप में) द्वारा पारित जैसा कि उसमें दर्शाया गया है, अवैधता और अनौचित्य से पीड़ित है अर्थात् कि निर्धारण प्राधिकारी ने मच्छर निरोधक (अपीलकर्ता द्वारा निर्मित उत्पाद) पर 10% के बजाय 4% की दर से कर लगाने में गलती की। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए कि वैट अधिनियम की धारा 33 द्वारा प्रदान की गई अपील के उपचार को समाप्त किए बिना "इस याचिका पर विचार करने की अनुमति नहीं होगी" और इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने पर (1975) 2 एस. सी. सी. 436 (टीटागढ़ पेपर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य) में रिपोर्ट की गई, जिसके आधार पर उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि जहां किसी विशेष अधिनियम के तहत कोई अधिकार या स्वतंत्रता उत्पन्न होती है, तो उस अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार का लाभ उठाया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय की राय थी कि यह कोई धारणा नहीं हो सकती है कि अपीलीय प्राधिकरण रिट याचिका में मांगी गई राहत देने में सक्षम नहीं होगा; इसलिए, रिट याचिका खारिज कर दी गई और अपीलार्थियों को अपीलीय उपचार के लिए भेज दिया गया।

4. प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, हम संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त रिट शक्तियों के प्रयोग पर कुछ शब्द कहने का आग्रह महसूस करते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कुछ आदेशों में रिट याचिकाओं को केवल इसलिए "बनाए रखने योग्य नहीं" माना गया है क्योंकि संबंधित कानूनों द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय को रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के इच्छुक पक्षों द्वारा नहीं अपनाया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है। इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर किसी भी सीमा का पता संविधान में ही लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में अनुच्छेद 329 और संविधान में इसी तरह के अन्य अनुच्छेदों के आदेशों का लाभप्रद संदर्भ दिया जा सकता है। अनुच्छेद 226, संदर्भ में, रिट जारी करने की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि यह सच है कि उसी कानून के तहत एक उपाय की उपलब्धता के बावजूद रिट शक्तियों का प्रयोग, जिसे लागू किया गया है और जिसने रिट याचिका में आक्षेपित कार्रवाई को जन्म दिया है, नियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी, केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने, किसी दिए गए मामले में, अपने लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का अनुसरण नहीं किया है/इसे यांत्रिक रूप से इसकी बर्खास्तगी के लिए एक आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि उच्च न्यायालयों (प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए) को एक विवेकाधिकार है कि वे एक रिट याचिका पर विचार करें या नहीं। अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग पर स्व-लगाए गए प्रतिबंधों में से एक जो न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से विकसित हुआ है, वह यह है कि उच्च न्यायालयों को आम तौर पर एक रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, जहां एक प्रभावी और प्रभावशाली वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। साथ ही, यह याद रखना चाहिए कि अपील या संशोधन के एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता, जिसे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष ने आगे नहीं बढ़ाया है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं हटाएगा और एक रिट याचिका को "बनाए रखने योग्य नहीं" बनाएगा। निर्णयों की एक लंबी पंक्ति में, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट

कर दिया है कि एक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता एक रिट याचिका की "रखरखाव" के लिए एक पूर्ण बाधा के रूप में काम नहीं करती है और यह कि नियम, जिसमें एक पक्ष को एक क़ानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क़ानून के नियम के बजाय नीति, सुविधा और विवेक का नियम है। हालांकि प्रारंभिक, यह दोहराया जाना चाहिए कि एक रिट याचिका की "मनोरंजन" और "रखरखाव" अलग-अलग अवधारणाएं हैं। दोनों के बीच के अच्चे लेकिन वास्तविक अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। "विचारणीयता" के बारे में आपत्ति मामले की जड़ तक जाती है और यदि ऐसी आपत्ति सारवान पाई जाती है, तो अदालतें निर्णय के लिए फूल प्राप्त करने में भी असमर्थ हो जाएंगी। दूसरी ओर, "मनोरंजन" का प्रश्न पूरी तरह से उच्च न्यायालयों के विवेकाधिकार के दायरे में है, रिट उपचार विवेकाधीन है। रखरखाव योग्य होने के बावजूद एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा कई कारणों से विचार नहीं किया जा सकता है या एक ठोस क़ानूनी बिंदु स्थापित करने के बावजूद याचिकाकर्ता को राहत देने से भी इनकार किया जा सकता है, यदि दावा की गई राहत देने से सार्वजनिक हित आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करना कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया है, हालांकि, यह जांच किए बिना कि क्या इस तरह के आमोद के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है, उचित नहीं होगा।

5. संविधान की शुरुआत के कुछ समय बाद, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 1958 एस.सी.आर 595 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद.नूह) में अपने फैसले में रिपोर्ट की को इस प्रकार मनाने का अवसर मिला:

"10. अगले स्थान पर यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सर्टिओरारी के संबंध में कोई नियम नहीं है, जैसा कि मैडमस के साथ है, कि यह केवल वहीं होगा जहां कोई अन्य समान रूप से प्रभावी उपचार नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि, बशर्ते आवश्यक आधार मौजूद हों, प्रमाणपत्र निहित होगा, हालांकि अपील का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है, (हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडन., वॉल्यूम 11, पृ. 130

और वहां उद्धृत मामले)। इस तथ्य पर कि पीड़ित पक्ष के पास एक और और पर्याप्त उपाय है, उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किया जा सकता है कि क्या उसे अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए, अपने अधीनस्थ निचली अदालतों की कार्यवाही और निर्णयों को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र का एक रिट जारी करना चाहिए और आम तौर पर उच्च न्यायालय तब तक हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा जब तक कि पीड़ित पक्ष अपने अन्य वैधानिक उपायों, यदि कोई हो, को समाप्त नहीं कर देता। लेकिन यह नियम जिसके लिए कानूनी उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है रिट दिए जाने से पहले कानूनी नियम के बजाय नीति, सुविधा और विवेकाधिकार का नियम है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस तथ्य के बावजूद कि पीड़ित पक्ष के पास अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय थे, प्रमाणपत्र की रिट जारी की गई है।* * * "

6. पिछली शताब्दी के अंत में, इस न्यायालय ने (1998) 8 एस.सी.सी 1 (व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स के पंजीयक, मुंबई और अन्य) में रिपोर्ट किए गए अपने निर्णय के पैराग्राफ 15 में ऐसे अपवाद बनाए जिनके अस्तित्व पर एक रिट कोर्ट एक रिट याचिका पर विचार करने में उचित होगा, भले ही पक्ष ने कानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया हो। वही नीचे पढ़ा गया है:

(i) जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग करती है;

(ii) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है;

(iii) जहां आदेश या कार्यवाहियां पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं; या

(iv) जहाँ किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी जाती है।

7. बहुत पहले नहीं, इस न्यायालय ने अपने फैसले में 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 884 (राज्य कर के सहायक आयुक्त बनाम मेसर्स

कमर्शियल स्टील लिमिटेड) ने पैराग्राफ 11 में समान सिद्धांतों को दोहराया है।

8. इसके अलावा, हम उपयोगी रूप से (1977) 2 एस.सी.सी 724 (उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड) और (2000) 10 एस. सी. सी. 482 (भारत संघ बनाम हरियाणा राज्य में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसलों का भी उल्लेख कर सकते हैं।) पूर्व निर्णय के एक स्पष्ट पठन पर जो दिखाई देता है वह यह है कि क्या कोई वस्तु बिक्री कर क़ानून में प्रविष्टि के भीतर आती है, कानून का एक शुद्ध सवाल उठाती है और यदि तथ्यों की जांच अनावश्यक है, तो उच्च न्यायालय अपने विवेक से एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है, भले ही वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया था; और, जब तक विवेक का प्रयोग अनुचित या विकृत नहीं दिखाया जाता है, तब तक यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाद के निर्णय में, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को मूल रूप से कानूनी पाया, जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है, अपीलकर्ता को पदानुक्रम में वैधानिक अपीलों के माध्यम से रखे बिना। उक्त निर्णयों से जो पता चलता है वह यह है कि जहां विवाद विशुद्ध रूप से कानूनी है और इसमें तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल नहीं हैं, बल्कि केवल कानून के प्रश्न शामिल हैं, तो इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

9. अब, इस अपील के तथ्यों की ओर लौटते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्यांकन आदेश कानूनी रूप से सही थे और रिट याचिका में आक्षेपित अंतिम आदेश एक अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने पर

पारित किए गए थे जो पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास नहीं था।जुर्मने में, आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे।चूंकि अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका में एक अधिकारिता का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकरण की क्षमता पर सवाल उठाया गया था, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल है, हमारा विचार है कि रिट याचिका में उठाई गई याचिका गुण-दोष के आधार पर विचार के योग्य थी और अपीलकर्ता की रिट याचिका को सीमा से बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए था।

10. टीटागढ़ पेपर मिल्स (ऊपर) में निर्णय पर उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता, हमारे विचार में, पूरी तरह से गलत थी। प्रतिवादी विद्युत बोर्ड ने एक समझौते के संदर्भ में अपीलकर्ता कंपनी पर कोयला अधिभार लगाया था। इस तरह के समझौते में खंड 23 में एक मध्यस्थता समझौता शामिल था।मध्यस्थता में अपने उपचार का अनुसरण करने के बजाय, अपीलकर्ता कंपनी ने असफल रूप से रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।इस न्यायालय से संपर्क किया गया था, जिसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता कंपनी को समझौते के खंड 23 को गंभीरता से स्वीकार करते हुए मध्यस्थता में अपने उपचार का अनुसरण नहीं करना चाहिए, और इसके बजाय उन प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आह्वान करना चाहिए जो वास्तव में मध्यस्थता समझौते की विषय वस्तु हैं।अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत किए गए मुद्दे के संबंध में यह निर्णय किसी भी प्रासंगिकता का नहीं हो सकता था, विशेष रूप से जब विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं थे।

11. हमारे पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति की प्रकृति पर विचार करते हुए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में दर्ज किया गया है, कि उच्च न्यायालय ने गलती से

टीटागढ़ पेपर मिल्स (उपरोक्त) का उल्लेख किया था, जबकि (1983) 2 एस. सी. सी. 433 (टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य) में उसी पक्ष द्वारा पसंद की गई अपील पर इस न्यायालय के एक अलग निर्णय पर भरोसा करने का इरादा था। रिट याचिका को खारिज करने के आक्षेपित आदेश को बरकरार रखते हुए, जहां बिक्री कर अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में इस अदालत ने माना कि चुनौती बिक्री कर अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की नियमितता तक सीमित है और ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि संबंधित अधिकारी को मूल्यांकन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, मोहम्मद.नूह (ऊपर) के निर्णय में स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता था क्योंकि उस मामले में अधिकार क्षेत्र की पूर्ण कमी थी। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि सुसंगत अधिनियम की योजना के तहत, अधिकारियों का एक पदानुक्रम था जिसके समक्ष याचिकाकर्ता शिकायत किए गए गलत कार्यों के खिलाफ पर्याप्त निवारण प्राप्त कर सकते हैं और चूंकि संबंधित अधिकारी का मूल्यांकन करने का अधिकार प्रश्न में नहीं था, इसलिए इसके तहत कार्यवाही शुरू करके सहारा लिया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट याचिका में पुनरीक्षण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए जाने के बाद, चुनौती के गुण-दोष की जांच किए बिना रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को तब भी कायम नहीं रखा जा सकता है जब तक कि उच्च न्यायालय को इस तरह के आदेश का समर्थन करने के लिए टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) पर भरोसा करना पड़े।

12. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कानून की एक स्पष्ट त्रुटि की जिसके लिए चुनौती के तहत आदेश अस्थिर है। उसी के अनुसार, खारीज किया जाता है।

13. दूसरे प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हुए, रिमांड का आदेश देना हमारे लिए एक उपलब्ध विकल्प है। हालाँकि, रिट याचिका में आक्षेपित

आदेश दिए जाने के बाद से समय बीतने (लगभग चौदह साल की आजीवन अवधि) को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि मामले को उच्च न्यायालय में भेजना न्याय के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। चूँकि इस अपील पर निर्णय सुरक्षित रखने से पहले हमने पक्षकारों को उस अधिकारिता के मुद्दे के गुण-दोष पर सुना था जिसे अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया था, इसलिए यह संशोधन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने का समय है।

14. अपीलकर्ता विभिन्न रूपों में घरेलू कीटनाशक उत्पादों के निर्माण, विपणन और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है, जैसे कि लोकप्रिय ब्रांड नाम "गुड नाइट" के तहत मच्छर कॉइल, चटाई, रिफिल, एरोसोल, बैट्स और चैक्स और अन्य बातों के साथ-साथ कुरुक्षेत्र में अपने बिक्री कार्यालय से "हिट", और वैट अधिनियम के तहत एक "निर्धारिती" है।

15. वैट अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में, कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची ए, बी और सी के तहत वर्गीकृत किया गया है। अनुसूची सी (मूल रूप से अधिनियमित) से यह पाया गया है कि कीटनाशक, खरपतवार और कीटनाशकों को प्रविष्टि 1 में शामिल किया गया था और 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य था।

16. अपीलकर्ता द्वारा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा कीटनाशकों और कीटनाशकों के निर्माण और बिक्री से अपने सकल कारोबार की घोषणा करते हुए मूल्यांकन वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए विवरणी दाखिल की गई थी। इस तरह के रिटर्न विधिवत रूप से स्वीकार किए गए थे। तथापि, 30 जून, 2005 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई अनुसूची सी की प्रविष्टि 67 में एक संशोधन को देखते हुए, निर्धारण प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किए गए थे कि 4 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर से कर देयता क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। अपीलकर्ता के प्रतिनिधि को सुनने के बाद, निर्धारण प्राधिकरण द्वारा आकलन वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए क्रमशः 28

फरवरी, 2007 और 28 मार्च, 2008 के आदेश पारित किए गए, जिसमें माल के वर्गीकरण और कर की दर को स्वीकार किया गया, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा अपने विवरणी में कहा गया है, अर्थात् 4 प्रतिशत।

17. तत्पश्चात, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने अपीलकर्ता के घरेलू कीटनाशक उत्पादों को मच्छर विकर्षक के रूप में वर्गीकृत करने और 4 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की उच्च दर पर कर योग्य मूल्यांकन के संशोधन के लिए मूल्यांकन वर्षों के लिए अपीलकर्ता के मूल्यांकन रिकॉर्ड मांगे। प्रारंभ में, मूल्यांकन वर्षों 2003-04 और 2004-05 के लिए किए गए आकलनों को संशोधित करने की मांग करने वाले कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए गए थे, और इस तरह की कवायद के बाद दोनों दिनांक 2 मार्च, 2009 को समान रूप से अंतिम आदेश जारी किए गए थे।

18. अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका में कुछ अधिसूचनाओं की वैधता सहित कई कानूनी सवाल उठाए गए थे। इस सवाल के अलावा कि क्या मच्छर भगाने वाले कीटनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले सामान हैं, एक अन्य सवाल जो अपीलकर्ता ने उठाना चाहा था, वह यह था कि क्या वर्गीकरण/कर की दरों की अनुसूची में संशोधन को लागू किया जा सकता है। तथापि, हमारे समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र सीमित प्रश्न यह था कि क्या पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश, दोनों दिनांक 2 मार्च, 2009, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 2003-04 और 2004-05 से संबंधित निर्धारण प्राधिकरण के 28 फरवरी, 2007 और 28 मार्च, 2008 के आदेशों को संशोधित करने की मांग की गई थी, कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

19. समझ की सुविधा के लिए, इस स्तर पर नीचे दिए गए मूल्यांकन वर्ष 2004-05 के संबंध में पारित पुनरीक्षण आदेश से सामग्री भाग को पुनः प्रस्तुत करना सुविधाजनक होगा:

"आई, XXXXXX, उप.आबकारी और कराधान आयुक्त-सह-संशोधन प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र ने मूल्यांकन वर्ष 2004-05 के लिए टी.आई.एन XXXXX रखने वाली मेसर्स गोदरेज सारा ली लिमिटेड, पिपली के मूल्यांकन रिकॉर्ड की मांग की। श्री XXXXX, ई.टी.ओ-सह-निर्धारण प्राधिकरण कुरुक्षेत्र ने यह मूल्यांकन आदेश 28.3.2008 को पारित किया। मूल्यांकन अभिलेख की जांच करने पर, प्रथम दृष्टया मेरा विचार था कि उक्त मूल्यांकन आदेश निम्नलिखित अवैधताओं और अनुचितताओं (एस. आई. सी., अनुचितताओं) से ग्रस्त था:

आकलन प्राधिकरण ने मच्छर निवारक पर 10 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर लगाने में गलती की

तदनुसार, 2.3.2009 के लिए एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। 2.3.2009 को, श्री अजय गोयल, फर्म के अधिवक्ता इस याचिका पर स्थगन के लिए आवेदन के साथ पेश हुए कि मार्च, 2009 का महीना बंद होने के कारण डीलर मामले का फैसला लेने में असमर्थ है। स्थगन के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि विक्रेता को कोई लेखा पुस्तिका प्रस्तुत नहीं करनी होती है या किसी भी दस्तावेज को तैयार नहीं करना होता है जो मामले में केवल कानूनी बिंदु शामिल है। विक्रेता ने मच्छर भगाने वाली दवा बेची है और 4 प्रतिशत की दर से कर जमा किया है। मेसर्स सोनिक इलेक्ट्रोकेम और एक अन्य बनाम एस.टी.ओ और अन्य (1998) 12-पी.एच. टी-215 (एस. सी.) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जेट मैट मच्छर विकर्षक कीटनाशक नहीं है। इसलिए, ये वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हैं और कर की सामान्य दर के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, डीलर को यह बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि मच्छर भगाने वाली दवाओं की बिक्री पर कर की सामान्य दर पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। फर्म के वकील ने इस मुद्दे पर कोई तर्क नहीं दिया है। मेसर्स सोनिक इलेक्ट्रोकेम और एक अन्य बनाम एस.टी.ओ और अन्य (1998) 12-पी.एच. टी-215 (एस. सी.) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि मच्छर निवारक चटाई गैर-अनुसूचित वस्तु होने के कारण कर की सामान्य दर पर कर योग्य हैं। प्रविष्टि 67 में संशोधन के साथ 1.7.2005 की अधिसूचना के माध्यम से भ्रम को भी दूर कर दिया गया था।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि आकलन करते समय प्राधिकरण ने मच्छर भगाने वाली दवाओं पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाने में गलती की है। अतः 28.3.2008 दिनांकित मूल्यांकन आदेश को अधिनियम की धारा 34 के तहत संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

टी.टी.ओ @10 % रु. 5,28,89,282 रु 52, 88, 928

(मच्छर भगाने वाले) कर का पहले से ही ए.ए. द्वारा मूल आदेश
रु 21,15,571 देय रु 31,73,357

जारी मांग नोटिस चालान रु 31, 73,357 के लिए डीलर को आदेश की
एक प्रति के साथ मूल्यांकन किया गया है।"

20. मूल्यांकन वर्ष 2004-05 से संबंधित वैट अधिनियम की धारा 15 के तहत मूल्यांकन प्राधिकरण के 28 मार्च, 2008 के मूल्यांकन आदेश, जिसे पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा संशोधित करने की मांग की गई थी, ने (1998) 6 एस. सी. सी. 397 (सोनिक इलेक्ट्रोकेमिक बनाम एसटीओ) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा था। अपीलकर्ता ने उसमें एक मच्छर निवारक 'जेट मैट' को बेच दिया था, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि उस पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है। इस तरह के निर्णय पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 'गोदरेज मत' की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोटिस पर रखने पर, मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि वैट अधिनियम की धारा 57 के तहत गठित हरियाणा कर न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण', संक्षेप में) को 21 नवंबर, 2001 के अपने आदेश द्वारा 22 मार्च, 2000 के पहले के आदेश की समीक्षा के लिए विभाग द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का अवसर मिला था। मूल्यांकन प्राधिकरण ने 28 मार्च, 2008 के अपने आदेश में समीक्षा याचिका पर पारित न्यायाधिकरण के 21 नवंबर, 2001 के आदेश के प्रासंगिक हिस्से को इस प्रकार निकाला:

पीठ ने कहा, "एकमात्र सीमित सवाल यह है कि क्या मेसर्स सोनिक इलेक्ट्रोकेम और अन्य के उपरोक्त मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपात वर्तमान मामले में लागू होता है? माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि उक्त निर्णय विशेष परिस्थितियों में दिया गया था यदि मच्छर विकर्षक से संबंधित एक प्रविष्टि 129 विशिष्ट थी और इसलिए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्णय प्रविष्टि 129 के तहत शामिल

किया जाएगा।हालाँकि, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है और इसलिए मुद्दा यह होगा कि क्या मच्छर निवारक कीटनाशक आदि से संबंधित प्रविष्टि के भीतर आएगा या नहीं?माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, ट्रांसलेक्टा घरेलू उत्पाद प्रा.लि. के मामले में न्यायाधिकरण लिमिटेड, और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, पोरुर असेसमेंट सर्कल मद्रास और अन्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 4 प्रतिशत एलेथ्रिन वाले मच्छर विकर्षक एक कीटनाशक थे और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, न्यायाधिकरण ने मैसर्स बलसारा हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड. कुंडली (सोनीपत) बनाम हरियाणा राज्य के मामले में यह भी माना है कि मच्छर विकर्षक एक कीटनाशक है और इसलिए कर की रियायती दर के लिए उत्तरदायी है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है और मुझे इस आदेश में कोई कमजोरी नहीं मिलती है। यह विवादित नहीं है कि जेट मैट्स में 'एलेथ्रिन' होता है जो एक कीटनाशक है।इसलिए, इन परिस्थितियों में, वर्तमान समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है।"

न्यायाधिकरण के निर्णय से बंधे होने के कारण, निर्धारण प्राधिकरण ने एक राय बनाई और यह निष्कर्ष निकाला कि उनके पास 4 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने के प्रस्ताव वाले उनके द्वारा जारी किए गए नोटिस को खाली करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था और ऐसा करने के लिए आगे बढ़े।

21. अपील के समर्थन में पेश होते हुए, विद्वान अधिवक्ता, श्री वी. लक्ष्मीकुमारन ने तर्क दिया कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने 28 मार्च, 2008 के आदेश को न्यायाधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पारित किया, जिसने बदले में सोनिक इलेक्ट्रोकेम (उपरोक्त) में निर्णय को अलग किया, और इस तरह के निर्णय को अंतिमता प्राप्त होने के बाद, पुनरीक्षण प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेते हुए विवादित कारण दिखाने के नोटिस के साथ-साथ वैट अधिनियम की धारा 34 के तहत अंतिम पुनरीक्षण आदेश जारी करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता था, जिसमें कहा गया था कि मच्छर निवारक चटाई अनुसूचित वस्तु नहीं है, कर की सामान्य दर पर कर योग्य हैं। उनके अनुसार, पुनरीक्षण प्राधिकरण न्यायाधिकरण के आदेश से उतना ही बंधा हुआ था जितना कि मूल्यांकन प्राधिकरण शामिल

मुद्दों की समानता को ध्यान में रखते हुए और ऐसे प्राधिकरण के लिए न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए खुला नहीं था।

22. 1992 में एस.यू.पी.पी. (1) एस.सी.सी. 443 (भारत संघ और अन्य बनाम कमलाक्षी वित्त निगम लिमिटेड) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले की ओर श्री लक्ष्मीकुमारन ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, इस प्रस्ताव के समर्थन में कि उनके समक्ष अर्ध-न्यायिक मुद्दों के निपटारे में, राजस्व अधिकारी अपीलीय अधिकारियों के निर्णयों से बाध्य हैं और न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उच्च अपीलीय अधिकारियों के आदेशों का बिना किसी रोक-टोक के पालन किया जाए।

23. श्री लक्ष्मीकुमारन ने, तदनुसार, प्रार्थना की कि पुनरीक्षण आदेशों को दरकिनार किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकरण के आदेशों को बहाल किया जाए।

24. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सांगवान ने तर्क दिया कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने वैट अधिनियम की धारा 34 के तहत स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार नहीं किया है। अनुसूची सी में संशोधन और सोनिक इलेक्ट्रोकेम (सुप्रा) में निर्णय के बारे में प्रासंगिक समय पर जारी अधिसूचनाओं का हवाला देकर, उन्होंने पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्धारण के गुणों पर बहस करने की मांग की और वह अपने निष्कर्षों में कैसे सही थी कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित मच्छर निरोधकों पर सोनिक इलेक्ट्रोकेम (सुप्रा) में निर्णय के संदर्भ में 10% की दर से कर लगाया जाना था, न कि 4% जैसा कि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा संशोधन के तहत आदेशों में मूल्यांकन किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण

प्राधिकरण के आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं, और अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

25. सुनवाई में, हमने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे की जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय को श्री सांगवान द्वारा यह स्वीकार करने के लिए राजी नहीं किया जाता कि पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास विवादित कारण दिखाएं नोटिस जारी करने का अधिकार, क्षमता और अधिकार क्षेत्र है और रिट याचिका में आक्षेपित परिणामी अंतिम पुनरीक्षण आदेश पारित करने के लिए अपीलार्थी के कर दायित्व को 4 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया है।

26. चूंकि वेट अधिनियम की धारा 34 पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की गई शक्ति का स्रोत प्रतीत होती है, हम पहले इसकी सामग्री पर ध्यान देंगे क्योंकि यह 21 आक्षेपित आदेशों की तारीख, यानी 2 मार्च, 2009 को लागू हुई थी। 20 मार्च, 2009 से प्रभावी इसके संशोधन से पहले, धारा 34 को निम्नानुसार पढ़ा गया था:

“धारा 34. संशोधन. :- (1) आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी भी कार्यवाही या उसमें किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए किसी भी कर प्राधिकरण के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड बुला सकता है, जो राज्य के हितों के लिए प्रतिकूल है और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि किसी कर प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश को किसी ऐसे मुद्दे पर संशोधित नहीं किया जाएगा, जो अपील पर या ऐसे आदेश से किसी अन्य कार्यवाही में किसी अपीलीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा निपटाया गया है:

बशर्ते कि निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां कानून में पूर्वव्यापी

परिवर्तन के परिणामस्वरूप या इसी तरह के मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर आदेश को संशोधित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप-उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के पद से कम के किसी भी अधिकारी को, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए ऐसे अपवादों, शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) के तहत आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रदान कर सकती है और जहां एक अधिकारी जिसे ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, वह इस धारा के तहत एक आदेश पारित करता है, तो ऐसा आदेश आयुक्त द्वारा उप-धारा (1) के तहत पारित किया गया माना जाएगा।

27. वर्तमान निर्णय के लिए प्रासंगिक सीमा तक, संशोधन की स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्यवाही में किए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जो राज्य के हितों के लिए प्रतिकूल है। हालांकि, पहले परंतुक में इस तरह की स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यदि किसी मुद्दे का निपटारा, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया गया था। इस प्रकार, धारा 34 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए अपरिवर्तनीय शर्त यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण को इस बात का संतोष है कि किसी कर प्राधिकरण द्वारा राज्य के हितों के लिए प्रतिकूल किसी भी कार्यवाही में आदेश दिया गया है, जिसकी वैधता या औचित्य उसे प्रथम दृष्टया कमजोर प्रतीत होती है। फिर भी, ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है यदि इसमें शामिल मुद्दा पहले से लंबित है या किसी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सुलझा लिया गया है। यह विवादित नहीं हो सकता है कि न्यायाधिकरण को वैट अधिनियम की धारा 2 (बी) में परिभाषित 'अपीलीय प्राधिकरण' के अर्थ के भीतर समझा जाता है।

28. ये धारा 34 की रूपरेखाएँ हैं, जैसा कि तब थी, यह देखने की आवश्यकता है कि परिष्करण प्राधिकरण इस तरह के प्रावधान से शक्ति प्राप्त करने और इसका प्रयोग करने में कितना उचित था।

29. आक्षेपित पुनरीक्षण आदेशों के एक मात्र अवलोकन से पता चलता है कि सोनिक इलेक्ट्रोकेम (ऊपर) में निर्णय ने इस संतुष्टि के लिए आधार बनाया कि मूल्यांकन के आदेशों को संशोधित किया जाना चाहिए। सोनिक इलेक्ट्रोकेम (उपरोक्त) में निर्णय गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969 (इसके बाद 'बिक्री कर अधिनियम', संक्षेप में) पर विचार करने पर दिया गया था। निर्णय के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न हुआ, वह यह था कि क्या अपीलकर्ता द्वारा उसमें प्रस्तुत 'जेट मैट' बिक्री कर अधिनियम की धारा 49 के तहत जारी की गई अनुसूची II भाग ए की प्रविष्टि 129 के भीतर आएगा। प्रविष्टि, प्रासंगिक समय पर, इस प्रकार पढ़िए:

एसएल. सं	वस्तुओं का विवरण	बिक्री कर की दर	खरीद कर की दर
129	मच्छर निवारक	रुपये में बारह पैसे	में बारह पैसे

30. मच्छर विकर्षक से संबंधित विशिष्ट प्रविष्टि, अर्थात् प्रविष्टि 129 को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने उसमें अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 'जेट मैट' प्रविष्टि 129 के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि इसका एक घटक कीटनाशक है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें अपीलकर्ता द्वारा निर्मित उत्पाद, अर्थात् 'जेट मैट', जिसे व्यावसायिक रूप से 'मच्छर विकर्षक मैट' के रूप में जाना जाता था, एक मच्छर विकर्षक है, इस तथ्य के बावजूद कि यह न केवल मच्छरों को पीछे हटाता है, बल्कि मच्छरों को मारने में भी सक्षम है। निर्णय में दिए गए कारणों के लिए, यह माना गया कि 'जेट मैट' एक कीटनाशक नहीं है जो बिक्री कर अधिनियम की प्रविष्टि 98 के तहत आंशिक छूट का हकदार होगा।

31. इसलिए, यह स्पष्ट है कि मच्छर विकर्षक से संबंधित विशिष्ट प्रविष्टि के कारण, इस न्यायालय ने 'जेट मैट' को प्रविष्टि 129 के तहत शामिल किया।

32. जैसा कि न्यायाधिकरण ने 21 नवंबर, 2001 के अपने आदेश में पाया कि वैट अधिनियम में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय और अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि 4 प्रतिशत 'एलेथ्रिन' वाले मच्छर विकर्षक एक कीटनाशक थे और इसलिए, कर की रियायती दर के लिए उत्तरदायी थे।

33. वर्तमान अपील पर निर्णय लेते समय, हम मुख्य रूप से 21 नवंबर, 2001 के न्यायाधिकरण के अप्रतिरोध्य आदेश के बावजूद पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के मुद्दे से संबंधित हैं, न कि न्यायाधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के गुण-दोष से। प्रतिवादीगण के चेहरे पर जो बात टकटकी लगाती है, वह यह है कि निर्धारण प्राधिकरण के आदेश में उद्धृत न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णय को अंतिम रूप मिल गया है। एक बार जब मुद्दा अंततः समाप्त हो जाता है, तो निर्णय राज्य, एक फोर्टियोरी, संशोधन प्राधिकरण को बाध्य करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय संशोधन प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह ऐसे प्राधिकरण को यह समझने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है कि वह या तो उससे बाध्य नहीं है या इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में पहला परंतुक सक्रिय हो जाता है और यह पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए एक बाधा के रूप में काम करेगा।

34. हमारे विचार में, यदि न्यायाधिकरण के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया होता या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इसके संचालन पर रोक लगा दी गई होती तो पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश को संशोधित करने के लिए

स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करना उचित हो सकता था। जब तक यह विवादित नहीं है कि तब तक मौजूद उत्पादों/कर देयता के वर्गीकरण के ढांचे को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण का निर्णय चालू रहता है और जब तक आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश दिए गए थे, तब तक ऐसा ढांचा भी चालू रहता है, पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास बिना किसी आरक्षण के न्यायाधिकरण के फैसले का पालन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। जब तक उच्च अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने का अनुशासन बनाए नहीं रखा जाता है, तब तक कर कानूनों के प्रशासन में पूरी तरह से अराजकता होगी और साथ ही कर निर्धारकों को अनुचित रूप से परेशान किया जाएगा। हम कमलाक्षी वित्त निगम लिमिटेड (ऊपर) में व्यक्त विचार से सहमत हैं।

35. सुनवाई के बीच, हमने श्री सांगवान से पूछा था कि क्या किसी अन्य सक्षम न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय का कोई निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा 21 नवंबर, 2001 के अपने आदेश में लिए गए निर्णय से अलग है, जिस पर निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था। साफ तौर पर, उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। यदि केवल श्री सांगवान ऐसे किसी निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते थे, जो हमें स्वीकार्य था, तो न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए मुद्दे को इस आधार पर फिर से खोला जा सकता था कि यह एक बहस योग्य मुद्दा है और संशोधन प्राधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेशों में हस्तक्षेप का सहारा नहीं लिया गया होगा, जिससे अपीलकर्ता को वैट अधिनियम के तहत अपीलीय उपाय करने के लिए छोड़ दिया गया होगा।

36. श्री लक्ष्मीकुमारन के इस तर्क में भी सार है कि धारा 34 की शर्तों पर पुनरीक्षण की स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता था जब संशोधित किए जाने के आदेश किसी अवैधता या अनुचितता से ग्रस्त हों।

37. किसी निर्णय पर अवैधता से पीड़ित होने के रूप में सवाल उठाया जा सकता है यदि उसका निर्माता उस कानून को समझने में विफल रहता है जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को सही ढंग से नियंत्रित करता है या यदि वह किसी ऐसे कानून को लागू करने में विफल रहता है जो पक्षकारों को बाध्य करता है। दूसरी ओर, धारा 34 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कार्यवाहियों में पारित किसी भी कार्यवाही या आदेश के औचित्य की कमी के आधार पर किसी निर्णय पर आपत्ति जताने के लिए, यह अनिवार्य रूप से एक प्रक्रियात्मक अनुचितता से संबंधित होना चाहिए। अभियुक्त के लिए यह दिखाना अनिवार्य है कि निर्णय निर्माता अपनी शक्ति के प्रयोग के मामले में लागू मानक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, नैतिक अनुचितता के आधार पर किसी आदेश पर महाभियोग चलाने के लिए, यह दिखाना होगा कि लागू कानून के साथ तथ्यों का भार अत्यधिक रूप से कार्रवाई के एक पाठ्यक्रम की ओर इशारा करता है, लेकिन निर्णय आश्चर्यजनक रूप से दूसरे रास्ते पर चला गया है, जिससे पुनरीक्षण उचित बनाते हुए निर्णय निर्माता की गतिविधि के क्षेत्र में दुर्व्यवहार या कदाचार के संदेह का कारण बनता है।

38. निर्धारण प्राधिकरण या उसके द्वारा पारित आदेशों के समक्ष कार्यवाही में अवैधता या (प्रक्रियात्मक/नैतिक) अनुचितता को उचित ठहराने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्धारण प्राधिकरण न्यायाधिकरण के आदेश से बाध्य था और कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण इसका पालन करने के लिए चुना गया था। न्यायाधिकरण का ऐसा निर्णय पुनरीक्षण प्राधिकरण के लिए भी बाध्यकारी था। ऐसी परिस्थितियों में, निर्धारण प्राधिकरण के आदेशों को अवैधता और अनुचितता से पीड़ित के रूप में ब्रांड करना हमें न केवल अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है, बल्कि न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत का उल्लंघन करने के अलावा एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने वाले सिद्धांत की पूरी तरह से समझ की कमी को भी दर्शाता है, जबकि एक वरिष्ठ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सामना करना पड़ता

है।हमारा विचार है कि यह मूल्यांकन प्राधिकरण के आदेश नहीं हैं, बल्कि संशोधन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश हैं, जो पेटेंट अवैधता से पीड़ित हैं।

39. पूर्वगामी कारणों से, हमारे पास मूल्यांकन वर्षों 2003-04 और 2004-05 के लिए 2 मार्च, 2009 के विवादित अंतिम पुनरीक्षण आदेशों को अमान्य करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

40. 18 जनवरी, 2010 के अंतरिम आदेश को पूर्ण बना दिया गया है।

41. अपील की अनुमति है।हालांकि, पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

..... J

(S. RAVINDRA BHAT)

I.....J.

(DIPANKAR DATTA)

नई दिल्ली;

1 फरवरी, 2023

अस्वीकरण:

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।